राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–26 / 2020

दायर दिनांक:–13.08.2020

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामचरण पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील–रुपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

-----वादी

बनाम

1. बालूराम पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
2. भंवरलाल पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
3. मंगलाराम पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
4. लक्ष्मण पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
5. श्रवण पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।
7. शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा सेन्दरिया, अजमेर।
8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सुरसुरा, अजमेर।
9. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रुपनगढ, अजमेर।

------प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 10.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम मोरड़ी तहसील रुपनगढ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार नया खाता संख्या 114 खसरा संख्या 10 रकबा 0.9060 है0, खसरा संख्या 12 रकबा 2.1034 है0, खसरा संख्या 148 रकबा 4.9672 है0, खसरा संख्या 293/11 रकबा 0.4045 है0, खसरा संख्या 4 रकबा 0.7200 है0, खसरा संख्या 5 रकबा 1.4481 है0 एवं नया खाता संख्या 113 खसरा संख्या 122 रकबा 1.4157 है0, खसरा संख्या 27 रकबा 0.0889 है0, खसरा संख्या 28 रकबा 6.4234 है0, खसरा संख्या 342/122 रकबा 0.3074 है0 में से वादी का हिस्सा 1/6 हिस्सा निहित है। हिस्से अनुसार वादी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य आपसी सहमति बंटवारा दिनांक 29.05.2020 को गवाह 1 नाथुराम पुत्र हेमाराम 2 दयालराम ढाका पुत्र हरदीनराम के समक्ष नोटेरी पब्लिक से तसदीक शुदा बंटवारा आपसी सहमति के साथ नजरी नक्शे से किया गया था जो मौके पर कब्जे अनुसार सहमति से किया [illegible] तहसीलदार रुपनगढ के यहां किया गया लेकिन बंटवारा नहीं हुआ। इसलिए वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण [illegible] आराजी में सहकृषक होने के कारण उनको वाद में प्रतिवादीगण के रुप में संयोजित [illegible] है। प्रतिवादी [illegible] 1 से 5 का सह खातेदार के रुप में

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

दर्ज है। वाद कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 29.05.2020 को सहमति पत्र से बंटवारा नही होने से प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक–20.07.2020 को आपसी सहमति पत्र से बंटवारा मना करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ व दिन–प्रतिदिन जारी है। वाद अधीन भूमि का मौके पर मय नींव सींव कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्से अनुसार नाप चोक कर बंटवारा नही हो रखा है, इसलिए आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य वाद–विवाद होता रहता है। प्रतिवादी संख्या 6 लेण्ड होल्डर होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 बैंक है जहां वादी द्वारा वाद वर्णित आराजी रहन दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 8, 9 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकील श्री अखिल मोदी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से भी जवाब पेश किया गया। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। तद्नुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रुपनगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोरड़ी के खसरा नम्बर 10, 12, 148, 293/11, 4, 5, 122, 27, 28, 342/122 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करते हुए दोनों पक्षों की मौजूदगी में कमिश्नर रिपोर्ट मय अलग–अलग खाता नम्बर अलग–अलग खसरा नम्बर सहित तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रुपनगढ़ (अजमेर)

जस्व वाद संख्या–26 / 2020

दायर दिनांकः–13.08.2020

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामचरण पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील–रुपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

------वादी

बनाम

1. बालूराम पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
2. भंवरलाल पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
3. मंगलाराम पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
4. लक्ष्मण पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
5. श्रवण पुत्र सेवाराम, जाति जाट, निवासी मोरड़ी, तहसील रुपनगढ़, जिला अजमेर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।
7. शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा सेन्दरिया, अजमेर।
8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सुरसुरा, अजमेर।
9. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रुपनगढ, अजमेर।

----प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

दिनांक 31.03.2021

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम मोरड़ी तहसील रुपनगढ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार नया खाता संख्या 114 खसरा संख्या 10 रकबा 0.9060 है0, खसरा संख्या 12 रकबा 2.1034 है0, खसरा संख्या 148 रकबा 4.9672 है0, खसरा संख्या 293/11 रकबा 0.4045 है0, खसरा संख्या 4 रकबा 0.7200 है0, खसरा संख्या 5 रकबा 1.4481 है0 एवं नया खाता संख्या 113 खसरा संख्या 122 रकबा 1.4157 है0, खसरा संख्या 27 रकबा 0.0889 है0, खसरा संख्या 28 रकबा 6.4234 है0, खसरा संख्या 342/122 रकबा 0.3074 है0 में से वादी का हिस्सा 1/6 हिस्सा निहित है। हिस्से अनुसार वादी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य आपसी सहमति बंटवारा दिनांक 29.05.2020 को गवाह 1 नाथुराम पुत्र हेमाराम 2 दयालराम ढाका पुत्र हरदीनराम के समक्ष नोटेरी पब्लिक से तसदीक शुदा बंटवारा आपसी सहमति के साथ नजरी नक्शे से किया गया था जो मौके पर कब्जे अनुसार सहमति से किया गया था जिसका आवेदन तहसीलदार रुपनगढ के यहां किया गया लेकिन बंटवारा नहीं हुआ। इसलिए वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में सहकृषक होने के कारण उनको वाद में प्रतिवादीगण के रुप में संयोजित किया गया [illegible] संख्या 1 से 5 का सह खातेदार के रुप में दर्ज है। वाद कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 2[illegible] सहमति पत्र से बंटवारा [illegible] करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ व दिन–प्रतिदिन जारी है। वाद अधीन भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड नही होने से प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक–20.07.2020 को [illegible] मय नीव [illegible] अनुसार [illegible] व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य वाद–विवाद होता रहता है। प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] वाद में पक्षकार बनाया है में निहित हिस्से अनुसार नाप चोक कर बंटवारा नही हो [illegible] होने से पक्षकार बनाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 बैंक है जहां वादी द्वारा वाद वर्णित आराजी रहन [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 8, 9 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकील श्री अखिल मोदी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से भी जवाब पेश किया गया। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में दिनांक–10.02.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार रुपनगढ की ओर से कमिश्नरी रिपोर्ट पेश की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिकी जारी करने एवं रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	बालूराम पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा	148/5 28/3 5 122 342/122	0.8279 1.0693 0.8378 0.2662 0.0210	बारानी 1 बारानी ए बारानी 1 बारानी 2 बारानी 2
		कुल किता 5	3.0222	3.0222
2	मंगलाराम पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा	148/4 28/1 10/1 293/11 122/4 342/122/4	0.8279 1.0693 0.4455 0.3925 0.2131 0.0740	बारानी 1 चाही 2 0.5532 का चाही 0.5161 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 2 बारानी 2
		कुल किता 6	3.0223	3.0223
3	लक्ष्मण पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन एचडीएफसी बैंक लिमि. शाखा सेन्दरिया	148/3 28/6 12/2 122/5 342/122/5	0.8278 1.0694 0.8377 0.2150 0.0722	बारानी 1 बारानी 1 0.1097 चाही 2 0.9597 बारानी 1 बारानी 2 बारानी 2
		कुल किता 5	3.0221	3.0221
4	भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ	148/2 28/4 12[illegible] 122/1 342/122/[illegible]	0.8278 1.0694 0.8377 [illegible] [illegible]	बारानी 1 बारानी ए 0.1532 बारानी 1 0.9162 बारानी 1 [illegible] 2 0.0269 [illegible] 2 0.0087
		कुल किता 5	3.022[illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

5	श्रवणलाल पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ	148/1 28/5 4/1 10 122/2 342/122/2	0.8279 1.0694 0.4445 0.3933 0.2442 0.0430	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 2 बारानी 3
		कुल किता 6	3.0223	
6	रामचरण पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ	148 28/2 5/1 4 122/3 342/122/3	0.8279 1.0694 0.6103 0.2275 0.2256 0.0616	बारानी 1 का चाही बारानी 1 बारानी 1 बारानी 2 बारानी 3
		कुल किता 6	3.0223	
7	बालूराम पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन BOB सुरसुरा हि0 1/6 मंगलाराम पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन BOB सुरसुरा हि0 1/6 लक्ष्मण पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन एचडीएफसी बैंक लिमि. शाखा सेन्दरिया हि0 1/6 भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन BOB रुपनगढ हि0 1/6 श्रवललाल पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन BOB रुपनगढ हि0 1/6 रामचरण पुत्र सेवाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हि0 रहन BOB रुपनगढ हि0 1/6	12/1 293/11/1 10/2 4/2 28 27	0.4280 0.0120 0.0672 0.0480 0.0072 0.0889	(चाह व गै0मु0 रास्ता) किस्म बारानी 1 (गै0मु0 रास्ता) किस्म बारानी 1 (गै0मु0 रास्ता) किस्म बारानी 1 (गै0मु0 रास्ता) किस्म बारानी 1 (गै0मु0 रास्ता) किस्म बारानी ए गै0मु0 चाह
		कुल किता 6	0.6513	

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अंतिम डिकी का भाग रहेगा।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.06 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)